तारीख / हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/7/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 022 R4, 022 R3 CPC तथा धारा 5 वास्ते प्रस्तुत हुई। क्योंकि तीनों प्रार्थनापत्र एक दूसरे से जुड़े हैं, अतः तीनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी नं. ③ व ④ द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 022 R4 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी क्रम ① जुगलकिशोर का देहान्त 28/06/24 को हो चुका है तथा जुगलकिशोर के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थनापत्र आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद पोषणीय नहीं होने से वाद का उपशमन कर अबेट किये जाने के आदेश पारित किये जावें। अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि 022 R10(A) के तहत प्रतिवादी की सूचना न्यायालय में प्रस्तुत करना मेन्डेट्री था, जो उसके द्वारा पारित नहीं	

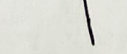

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व अहकाम हुक्म ... में जारी
	की गई। अतः प्रार्थनापत्र अमेंडमेन्ट खारिज किया जावे। साथ ही वादी द्वारा प्रार्थनापत्र O22 R3 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी जुगलकिशोर की मृत्यु उपरान्त उसके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया जावे। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र O22 R3 CPC के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट भी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19.11.2024 की नकल उन्हें 8/1/25 को प्राप्त हुई तथा 22/01/25 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया। अतः देरी एक सद्भाविक त्रुटि है, जिसे न्यायहित में कण्डोन किया जाना आवश्यक है। अतः 19/08/24 से 8/1/25 तक की देरी को कण्डोन किया जाकर प्रार्थनापत्र अवधि बाह्य स्वीकार किया जावे। बहस उभयपक्ष सुनी गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया, तथा बहस वक्तव्य परीक्षण पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा O22R10(A) से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। यदि प्रतिवादी क्रम ③ व ④ के संज्ञान में प्रतिवादी क्रम ① की मृत्यु का तथ्य था, तो उन्हें O22 R10(A) के तहत न्यायालय को सूचित करना चाहिए था। साथ ही प्रतिवादी क्रम ③ व ④ का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O22 R4 CPC दिनांक 17/12/24 को न्यायालय में प्रस्तुत होना प्रमाणित है, जिसकी नकल 8/1/25 को वादी को दी गई, तथा वादी द्वारा 22/01/25 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O22 R3 CPC प्रस्तुत किया गया। उक्त परिस्थितियों में हम वादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थनापत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अंज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को अवधि मध्य स्वीकार करते हैं। साथ ही वादी का प्रार्थनापत्र O22 R3 CPC स्वीकार किया जाकर मृतक प्रतिवादी जुगलकिशोर के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिया जाता है। तथा प्रतिवादी क्रम ③ व ④ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O22R4 बाबत दावा अबेट करने अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित दाखिल 25/07/25 को पेश हो।	